फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

राशि जैन बनाम राजेन्द्र कुमार सेठी
दीवानी विविध (उत्तराधिकार) प्रार्थना पत्र संख्या 91/21
सीआईएस संख्या 04/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 30.08.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने जो जवाब प्रस्तुत किया है उसके साथ नोमिनेशन एवं एनपीएस से संबंधित दस्तावेजात जानबुझकर दुराशय में प्रस्तुत नहीं किया है। मृतक नकूल राज सेठी अप्रार्थी संख्या 4 के अधीन कार्यरत था तथा वह जिस सोसाईटी बीएआरसी का मेम्बर था, वह सोसाईटी भी अप्रार्थी संख्या 04 के अधीन ही आती है। यदि अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा मृतक नकूल राज सेठी के एनपीएस से संबंधित दस्तावेजात व नोमिनेशन संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए तो इस न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति नहीं आ पायेगी एवं हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में कठिनाई आवेगी। इन दस्तावेजो के अभाव में अप्रार्थी संख्या 02 की साक्ष्य पूर्ण नहीं की जा सकती एवं यदि इन दस्तावेजात के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 02 की साक्ष्य लेखबद्ध कर ली गई तो यह महत्वपूर्ण दस्तावेजात प्रदर्शित होने से रह जावेगा। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 06 ने इस न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया है उसमें यह गलत अंकित किया है कि दिनांक 25.06.2021 को 6,31,444/– रूपये मय ब्याज अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बतौर नोमिनी प्राप्त किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 06 को भी मय दस्तावेजात साक्ष्य में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 02 की साक्ष्य से पूर्व अप्रार्थी संख्या 04 एवं 06 को मय दस्तावेजात साक्ष्य में तलब किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने साक्ष्य	

शपथ पत्र को प्रस्तुत कर दिया है। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अन्य अप्रार्थीगण से दस्तावेजात तलब करवाकर उनकी साक्ष्य पहले लेखबद्ध करवाये। उसके द्वारा केवल मात्र हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे–खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसने नकूल राज सेठी से संबंधित नोमिनेशन के दस्तावेजात इस जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 04 का बी.ए.आर.सी सोसाईटी से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 06 से भी अप्रार्थी संख्या 4 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे–खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 ने अप्रार्थीगण संख्या 4 व 6 से दस्तावेजात तलब कर उन्हें अप्रार्थी संख्या 02 से पूर्व साक्ष्य में परीक्षित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2025 को गवाह उषा सेठी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। स्वयं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को अन्य अप्रार्थीगण से दस्तावेजात तलब करने अथवा उन्हें साक्ष्य में पहले परीक्षित करवाने का कोई हक व अधिकार हो ऐसी कोई विधि या नियम उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह गवाह उषा सेठी दिनांक 15.11.2025 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)